

PRESS - RELEASE

जिला सवाई माधोपुर

बुधवार

दिनांक :- 13.09.2017

शांति भंग करने के 07 आरोपी गिरफ्तार :-

नरेन्द्र सिंह स0उ0नि0 थाना सूरवाल स0मा0 ने मो0 रफीक खान पुत्र श्री शरीफ खान मुस0 निवासी सूरवाल थाना सूरवाल को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार हरभान सिंह उप निरीक्षक थाना कोतवाली ने श्री ताराचन्द उर्फ छोट्या पुत्र रामप्रताप गुर्जर निवासी पुरानी तहसील के सामने शहर स0मा0 को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार नेमीचन्द हैड कानि011 थाना कोतवाली ने श्री कल्लू उर्फ जाकिर पुत्र पीरूखान उम्र 32 साल निवासी कच्ची बस्ती शहर स0मा0 को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार धर्मेन्द्र सिंह हैड कानि0 396 ने विष्णु पुत्र नंदलाल उम्र 24 साल जाति ब्राह्मण निवासी खिरनी थाना बौली को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार मुरारी लाल हैड कानि0 26 थाना वजीरपुर ने श्री मनोज कुमार पुत्र श्री जवान सिंह मीना उम्र 29 साल निवासी फुलवाडा पेंपट थाना वजीरपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार रविन्द्र सिंह हैड कानि0 थाना रवांजना डुंगर ने राहूल पुत्र रामप्रसाद उम्र 20 साल जाति रैगर निवासी वालापुरा थाना रवांजना डुंगर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार धर्मेन्द्र सिंह हैड कानि0 थाना रवांजना डुंगर ने मेघराज पुत्र जगराम उम्र 22 साल जाति मीणा निवासी मुई थाना रवांजना डुंगर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

शराब पीकर उत्पात मचाता आरोपी गिरफ्तार :-

रामावतार शर्मा स0उ0नि0 थाना मानटाउन ने श्री लाल चन्द पुत्र श्री केवलराम जाति सिन्धी उम्र 30 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

सट्टे की खाईवाली करता आरोपी गिरफ्तार:-

रैवत सिंह हैड कानि0 357 थाना मानटाउन स0मा0 ने श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री मटकुलीराम जाति जाटव उम्र 22 साल निवासी रेल्वे कॉलोनी शिव मन्दिर के पास थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर को गणेश मंदिर के पीछे बजरिया स0मा0 से सट्टे की खाईवाली करते हुये को धारा 13 आरपीजीओ जुआ अधिनियम के आरोप में सट्टा उपकरण व 2220 रूपयें के साथ गिरफ्तार किया गया। व मु0न0 318/2017 दर्ज किया गया।

जुआ खेलते 02 आरोपी गिरफ्तार:-

इसी प्रकार कप्तान सिंह हैड कानि0 375 थाना वजीरपुर स0मा0 ने श्री वावू पुत्र चादूलाल जाति पुजारी उम्र 45 साल निवासी रापपुर थाना वजीरपुर को ग्राम रायपुर में ताश के पत्तों पर पैसों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय 52 ताश के पत्तें व 1540 रूपयें के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 172/17 दर्ज किया गया।

दर्ज मुकदमात के 03 आरोपी गिरफ्तार :-

गिराज प्रसाद स0उ0नि0 थाना मलारना डुंगर ने दर्ज मुकदमात का आरोपी कुलदीप पुत्र सूरजान जाति गुर्जर उम्र 28 साल निवासी थली थाना बौली जिला स0मा0 को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध कमलेश पुत्र श्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी मिर्जापुर गंगापुर सिटी ने दिनांक 14.08.17 को मु0न0:-192/2017 थाना मलारना डुंगर पर मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी

इसी प्रकार गिराज प्रसाद स0उ0नि0 थाना मलारना डुंगर ने दर्ज मुकदमात का आरोपी जावेद पुत्र जरदार जाति मुसलमान उम्र 26 साल निवासी पीलवा नदी थाना मलारना डुंगर जिला स0मा0 को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध पप्पू गुर्जर पुत्र भोरया गुर्जर निवासी टापरी गुजरान उम्र 30 साल निवासी थाना मलारना डुंगरजिला स0मा0 ने दिनांक 11.09.17 को मु0न0:-219/2017 धारा 394ताहि में थाना मलारना डुंगर पर लुट की प्राथमिकी दर्ज करायी थी

03 वारंटी गिरफ्तार :-

विनोद कुमार उपनिरीक्षक थाना खण्डार नें फरार वारंटी 1. धनजी पुत्र हरफूल जाति माली निवासी गोठबिहारी थाना खण्डार 2. हनुमान पुत्र हरफूल जाति माली निवासी गोठबिहारी थाना खण्डारको गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्रीमान जेएम कोर्ट खण्डार के द्वारा कोर्ट केश न0 2/11में वारण्ट जारी किया गया था।

इसी प्रकार वीर सिंह हैडकानि0 थाना मानटाउन नें फरार वारंटी श्री सीताराम मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी मानपुर थाना बौली जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध प्रकरण संख्या 60/13 धारा 279,337,338 आई0पी0सी0 न्यायालय श्रीमान एसीजेएम साहब स0मा0में वारण्ट जारी किया गया था।